पत्थर के अवैध खनन के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब-तलब

बिलासपुर | सक्ती जिले के ग्राम नंदेली में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की बेंच ने खनन विभाग के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा है। दाखिल

नंदेली निवासी खोलबाहरा ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से जनहित याचिका लगाई है, इसमें बताया कि ग्राम नंदेली, तहसील जैजैपुर, जिला सक्ती स्थित खसरा नंबर 16/1, क्षेत्रफल 14.2 हेक्टेयर की शासकीय भूमि पर राजेश्वर साहू सहित अन्य निजी व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से गौण खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसील और जिला प्रशासन से कई बार की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद से प्रतिवादी उस स्थान को धीरे-धीरे पाटने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे साक्ष्य मिटाए जा सकें। उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने खनन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।